

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप / परिषद सम्बद्धता / 2019 / 1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:—कार्यालय ज्ञाप—:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० ८० लखनऊ से उ०प्र० ८० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुकम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-३ में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-


“ए०आई०सी०टी०इ० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुकम में संलग्नक-२ में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-२ में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० ८० लखनऊ सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०इ०/प ००सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1970	साई नाथ कॉलेज, युद्धल, सदर, आगरा	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०इ० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्भीत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु 0/- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु 0/- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय दिया जायेगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दरे जाएँगे होंगी।


Principal
Sai Nath College
AGRA

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राख्या—प्राशिग/परिषद सम्बन्धा/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-१-2020

—कायालिय ज्ञाप—

अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/ठारौंसी काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शोधिक सत्र 2020-21 हतु डिल्लीमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण सम्प्रयोगों को अनुसोदन प्रदान किए जाने के उपरात प्राविधिक शिक्षा परिषद, ७०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हतु दिनांक १४-८-२०२० को अधिक प्राविधिक शिक्षा परिषद, ७०प्र० लखनऊ को अध्यवता न परिषद कायात्र्य में देखक सफन्न हुई। वेटक ने सभिते द्वारा सत्र 2020-21 हतु आवादि, नई सम्प्रयोगों को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित योग्याओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश असता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए १३-१४-२०२०-२१ देव सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त कानूनकम में सम्बद्धता समिति की दैवतों के मद-३ में डिप्लोमा इन कार्यसी पाठ्यक्रम सम्मानित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध सत्याओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति हाश गदन विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया -

“निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश शर्तों के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-03-2020 को आहुति सम्बद्धता रसिति की बैटक में लिये गये उपरोक्त निपट्य के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राधिकृत शिक्षा परिवर्द्धन ३० प्र० लखणक हारा सब 2020-21 हेतु निम्नानित शहरों के अधीन साध्यकाम एवं उसमें अकिञ्च प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	रास्था० बो०८	संस्था० का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०-जाइ० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुग्रहित प्रवेश क्रमांक	पी०सी०-जाइ० /परिवद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुग्रहित प्रवेश क्रमांक
1	1970	साई नाथ कॉलेज, कुलालला, सहर, झागड़ा।	डिप्लोमा इन इंसर्टी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

- ✓ संस्था पृष्ठाएँ०सी०टी०८० / १०८००आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं १९८२ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विभिन्न मासली १९९२, रोमेटर विभिन्न मासली-२०१६ तथा अन्य नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा इनका निवारण तभीते द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रम हतु रु० ३०,१५०.००/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय कार्यसी पाठ्यक्रम हतु रु०- ४५,०००.००/-प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों प्रतिवर्ष दो वर्षीय कार्यसी पाठ्यक्रम हतु रु०- २२,५००.०० प्रतिवर्ष शुल्क है प्रत्येक छात्र/छात्रा (दो वर्षीय कार्यसी पाठ्यक्रम के अन्तरिक्ष) हतु रु०- २२,५००.०० प्रतिवर्ष शुल्क के सम्बन्ध में सम्बुद्धि प्राप्त किया जायगा। उपरोक्त के अन्तरिक्ष प्रात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्बुद्धि प्राप्त